न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

प्रार्थना पत्र सख्याः–794 / 2020 (जीसीएमएस नं. 2020 / 00540)

1. गोपाली पत्नी बदवा, जाति मीना निवासी ग्राम धामस्या तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

––प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री भगवान सहाय शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 04.07.2022

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पुनराविलोकन न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 86 के तहत प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पुनराविलोकन के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के निर्णय दिनांक 07.12.2015 के विरूद्ध प्रार्थीगण ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की थी जिस अपील में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 06.10.2017 में आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किये जाने के कारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के निर्णय को बहाल रखने में अहम कानूनी भूल की है जबकि अपीलार्थी द्वारा आवंटन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने बाबत समय–मय पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा आवंटित भूमि में अपीलार्थीगण की माता व अपीलार्थी ने काफी उपजाऊ बनाया तथा बारिश होने पर काश्त की गई लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने आवंटन के आधार पर रिकार्ड में अंकन नही किया व खसरा गिरदावरी में काश्त का अंकन नही करने के आधार पर कब्जा काश्त नही होना मानकर विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 06.10.2017 पारित कर दिया उक्त के अलावा अपीलार्थीगण की माता का देहान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत होने से पूर्व होने से मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश है जिसमे अपीलार्थी अत्यन्त पीड़ित एवं प्रभावित है, प्रश्नागत आदेश स्पष्टता कानूनी प्रावधानों के विपरित होने के कारण रिव्यु किया जाना न्यायोचित एवं प्रार्थनीय है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 एवं आदेश 47 सी.पी.सी. में यह स्पष्ट प्रावधान है कि पुनराविलोकन प्रार्थना पत्र राजस्व न्यायालय या अधिकारी या तो स्वयं अपनी ओर से या हित रखने वाले किसी पक्षकार के आवंटन पत्र पर आदेश पारित करने से तात्विक तथ्य की जानकारी न मिलने पर तथा किसी तथ्य व विधि की भूलवश पारित हो गया है तो रिव्यू मंजूर कर प्रश्नागत निर्णय एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम का निर्णय निरस्त किया जा सकता है इसलिये न्यायालय श्रीमान्

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

को रिव्यु करने के सम्पूर्ण विधि अनुसार अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र के तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थी का पुनराविलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नागत निर्णय दिनांक 06.10.2017 अपील संख्या 14/2016 निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14..06.1999 ग्राम दौलतपुरा तहसील जमवारामगढ़ बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 06.10.2017 के अवलोकन से जाहर होता है कि आवंटित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त नही होना गिरदावरी सम्वत् 2067 से 2069 व 2070–2071 से स्पष्ट जाहिर होने एवं अपीलान्ट द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही करने पर दिनांक 06.10.2017 उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनने के पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है जिसे केवल प्रार्थना पत्र रिव्यू के माध्यम से रिव्यु किया जाना न्यायोचित नही है जबकि प्रार्थीगण को उक्त निर्णय दिनांक 06.10.2017 के विरूद्ध अपर न्यायालयों में अपील प्रस्तुत करने के कानूनी अधिकार प्रदत्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिव्यु खारिज योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 06.10.2017 के विरूद्ध समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुनराविलोकन खारिज किया जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।